छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण

पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर, राजभवन के पास, जी.ई.रोड, रायपुर (छत्तीसगढ़)
फोन नं. 0771–4090020 / 30, Website :cssda.cg.nic.in, Email :cgcssdm@gmail.com

क्रमांक /1831/ छराकौविप्रा / 2018 रायपुर, दिनांक 17 / 04 / 2018

प्रति,

कलेक्टर सह अध्यक्ष,
जिला कौशल विकास प्राधिकरण,
समस्त जिला (छ0ग0)

विषय :– प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण उपरान्त नियोजन के दौरान व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (VTP) को प्रशिक्षण राशि के भुगतान के संबंध में कियान्वयन एवं अनुपालन हेतु दिशा–निर्देश जारी करने बाबत्।

——00——

उपरोक्त विषयान्तर्गत छ0ग0 शासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र क्रमांक एफ 5–114 / 2017 / कौ.वि. / 42 नया रायपुर दिनांक 10 / 10 / 2017 द्वारा प्राप्त स्वीकृति अनुसार छत्तीसगढ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अन्तर्गत प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण उपरान्त नियोजन के दौरान व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (VTP) को प्रशिक्षण राशि भुगतान करने के संबंध में कियान्वयन एवं अनुपालन हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी की जाती है :–

व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (VTP) को प्रशिक्षण राशि का भुगतान

- प्रथम किश्त – प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के 01 माह पश्चात प्रशिक्षण राशि का 20 प्रतिशत राशि देय होगा।
- द्वितीय किश्त – प्रमाणीकरण एवं प्रशिक्षण बैच के कुल 20 प्रतिशत नियोजन पर प्रशिक्षण राशि का 40 प्रतिशत।
- तृतीय किश्त – प्रशिक्षण बैच के कुल 50 प्रतिशत नियोजन पर प्रशिक्षण राशि का 20 प्रतिशत राशि देय होगा।
- चतुर्थ किश्त – प्रशिक्षण बैच के 70 प्रतिशत या 70 प्रतिशत से अधिक नियोजन होने की स्थिति में प्रशिक्षण राशि का 20 प्रतिशत राशि देय होगा।

छत्तीसगढ़ राज्य के युवाओं को कौशल विकास का अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत विभागीय एवं अन्य विभागीय योजनाओं के तहत संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण प्रावधानिक दिशा–निर्देश लागू होंगे तथा इस संबंध में केन्द्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देश यथावत् रहेगा। अतः उपरोक्तानुसार दिशा–निर्देश प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त उपरान्त जारी की जाती है। यह आदेश दिनांक 01 / 04 / 2018 से प्रभावशील होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण
रायपुर, छत्तीसगढ

......क्रमशः

पृ. कमांक /1833LA/ छराकौविप्रा / 2018 रायपुर, दिनांक 17/04/2018

प्रतिलिपि:–

1. सचिव, छ0ग0 शासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
2. सहायक संचालक, समस्त जिला कौशल विकास प्राधिकरण छ0ग0 ।
3. नोडल अधिकारी / प्राचार्य / सहायक परियोजना अधिकारी, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, समस्त जिला छ0ग0 ।
4. समस्त अधिकारी व शाखा प्रभारी अधिकारी, छ00ग राज्य कौशल विकास प्राधिकरण एवं राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी रायपुर।
5. सुश्री सीमा कुमारी, उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी, (सूचना प्रौद्योगिकी) उक्त आदेश सी.एस.एस.डी.ए. एवं एस.पी.एल.सी.एस. के वेबसाईट में अपलोड करने हेतु पालनार्थ एवं सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण
रायपुर, छत्तीसगढ